चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. गुड्डन पुत्र नन्दकिशोर निवासी खजुरिहा कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. अवधेश पुत्र डेबरा निवासी ग्राम बराछी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट, 3.इन्द्रलेश पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4.जागेश पुत्र श्यामलाल निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5. इन्द्रेश पुत्र नानभइया उर्फ शिव विलास निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 6.करण पुत्र पंचू उर्फ पंचम जमादार निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(4). आज दिनाँक 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). आज दिनाँक 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(6). आज दिनाँक 30.04.2025 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले व अधिवर्षता पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस श्री सुखलाल,महिला उपनिरीक्षक श्रीमती गुड्डी देवी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक श्री सुखलाल को माला पहनाकर एवं उपनिरीक्षक श्रीमती गुड्डी देवी को पुष्प गुच्छ देकर व प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे दोनों उपनिरीक्षकों से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं एवं ससम्मान सेवानिवृत होने पर मेरा आप दोनों को सैल्यूट है। पुलिस विभाग में भर्ती होने के पश्चात आपको जीवन में दोनों ही कर्तव्यों एक आपकी वर्दी पहने हुए समय में अपने कर्तव्यों का पालन,दूसरा पारिवारिक कर्तव्य दोनों का ही सामंजस्य बैठाना पड़ता है अब जाए और अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ अपना समय बिताए उससे बड़ा सुख अब आपके लिए और कोई नहीं है।सेवानिवृत हो रहे उपनिरीक्षक सुखलाल द्वारा कहा कि मैं तो आज विभाग में अपनी सेवाएं देकर जा रहा हूँ लेकिन मेरे सभी छोटे भाई बहिन जो अपनी सेवाएं दे रहे है सभी अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से पालन करें साथ ही महिला उपनिरीक्षक श्रीमती गुड्डी देवी ने भी अपने अनुभव सांझा कर बताया कि अनुशासित और समय का पाबंद होने से आपको अपनी नौकरी बड़ी आसान लगेगी खुद को समय का पाबंद बनाए।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, वाचक श्री राजीव कुमार सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 30.04.025 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम केकरामार ऊंचाडीह में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री राकेश माथुर,यूनिसेफ सदस्य श्री राजेश कुमार सैनी,थाना AHTU टीम बाल कल्याण अधिकारी एवं थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम केकरामार ऊंचाडीह में ग्रामवासियों को बताया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों का हनन है अपने आसपास के लोगों को बताएं ,अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें। उन्हें बताएं कि यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर कितना बुरा प्रभाव डालता है। सभी से अपील की गयी कि यदि आपको अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह की आशंका हो, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 112, 1098, 181, 1090, 1076 पर सूचना दें, आपकी एक छोटी सी सूचना किसी बच्चे का जीवन बचा सकती है।यदि आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जिसका बाल विवाह हो रहा है या हो चुका है, तो उसे भावनात्मक और कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करें। आप उन्हें बाल कल्याण समिति या गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क करने में मदद कर सकते हैं,युवाओं को बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 458/012 धारा 379,411,120बी भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवकुश कसेरा पुत्र रमेश चन्द्र कसेरा निवासी समसाबाद थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को 03 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 23.08.012 को वादी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव निवासी गोविन्द्रपुर थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि ग्राम बालापुर में लगे उनके एयरटेल टॉवर से अज्ञात चोरों द्वारा बैटरी सेल चोरी कर लिए है इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 458/012 धारा 379,411,120बी भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मथुरा प्रसाद द्वारा सम्पादित की गयी।मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 23.11.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।